

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 18/184

हरिबल्लभ आत्मज श्री धूलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्त

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।


—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।  
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

### निर्णय

दिनांक: 06.04.2018

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, सांगोद जिला - कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्त को ग्राम बूढनी की आराजी खसरा नं. 608, 609 रकबा 0.66 हैक्टर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से 30 दिवस (एक माह) के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 03.03.2016 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेंट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेंट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2017 के द्वारा अपील अपीलान्त खारिज कर दी ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
4. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।



अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील करवाए बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे।
7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने का निवेदन किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति हम प्रस्तुत प्रकरण को न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है। इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार, सांगोद को भी प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जावे कि अपीलान्ट भविष्य में कभी इस आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार, सांगोद को भेजी जावे। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को न्यायालय तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा में उपस्थित हों।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।
10. निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा